

एक्सपोर्ट असिस्टेंट

पं.सुं.श. केंद्रीय व्यावसायिक
शिक्षा संस्थान



योग्यता पैक

रेफ. आई.डी. : ए.एम.एच./क्यू1601

क्षेत्र

अपैल्स, मेडआप्स
और होम फर्नीशिंग

कक्षा

11वीं एवं 12वीं



पं.सुं.श. केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल
(राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की एक घटक इकाई, के तहत शिक्षा मंत्रालय,
भारत सरकार), श्यालता हिल्स, भोपाल – 462002 (म.प्र.)

www.psscive.ac.in

व्यावसायिक शिक्षा

भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी), अनौपचारिक और गैर-ओपचारिक क्षेत्रों के माध्यम से आयोजित किये जाते हैं। वीईटी विभिन्न टार्गेट ग्रुप्स और शिक्षार्थियों की कौशल आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न रूपों में प्रदान किया जाता है। विभिन्न मंत्रालयों में से केन्द्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमओएसडीई) तथा केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय (एमओई) कौशल विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के माध्यम से तैयार किए गए

वीईटी प्रावधान स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा शिक्षा

मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत आते हैं।

पॉलिटेक्निक कॉलेजों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों,

जन शिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान के माध्यम से प्रदान की जाने

वाली व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं।

शिक्षार्थियों की विभिन्न प्रोफेशनल आकांक्षाओं और

शैक्षिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक ज्ञान,

कौशल और दृष्टिकोण के व्यवस्थित अधिग्रहण के लिए

स्कूल जरूरी वातावरण प्रदान करते हैं। स्कूली शिक्षा

आधारित व्यावसायिक ज्ञान विभिन्न नौकरियों की एन्ट्री-लेवल

(प्रवेशात्मक स्तर) जरूरतों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है।

व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न सैद्धांतिक विषयों एवं पाठ्यक्रमों का समावेश किया गया है।

इनका उद्देश्य छात्रों के उन मूलभूत ज्ञान, कौशल एवं स्वभावगत विशेषताओं का विकास करना हैं

जो उन्हें स्किल्ड पशेवर या व्यवसायी बनने में सहायता करेंगे। व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा

(स्कूली शिक्षा की एक इन्टीग्रेटेड शिक्षा) के अंतर्गत लागू किया गया है।

श्रम बाजार की बढ़ती मांगों को पूरा करने और कुशल जनशक्ति के विकास के लिए व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (वीईटी) के लिए मान्यता प्राप्त है। वीईटी विशिष्ट जॉब रोल्स पर केंद्रित है और इस तरह का व्यावहारिक ज्ञान और कौशल प्रदान करता है, जो व्यक्तियों को विशिष्ट व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न होने के लिए सशक्त करता है। यह न केवल व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि उद्योगों में उत्पादकता बढ़ाने में भी मदद करता है।

व्यावसायिक विषयों को 2012 में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की

संशोधित योजना के तहत पेश किया गया था। इसमें ग्रेड 9 से 12 (4 वर्षीय पैटर्न) में एक

जॉबलरोल को पढ़ाया गया था। इस योजना को 2018 में समग्र शिखा अभियान (एसएसए) और

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के साथ समग्र शिक्षा में शामिल किया गया था।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (एनईपी-2020) में व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया गया है।

एनईपी-2020 में उचित सामाजिक स्थिति प्रदान करने और सामान्य शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए एक प्रणाली विकसित करने के लिए व्यावसायिक शिक्षा की पुनर्कल्पना (री-इमेजिंग) की गई है।



अपैरल, मेड-अप्स और होम फर्निशिंग (एएमएचएफ) सेक्टर के बारे

अपैरल, मेड-अप्स और होम फर्निशिंग सेक्टर हमारे देश में सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक है। यह विभिन्न तैयार उत्पादों का कच्चे माल से उत्पादन करते हैं। इस क्षेत्र में डिजाइनिंग, पैटर्न, कटिंग, सिलाई, परिधान, मेड-अप और होम फर्निशिंग आइटम की फिनिशिंग और सजावट से संबंधित गतिविधियां शामिल हैं।



वस्त्र/परिधान उत्पाद विकास योजना के चरणों से होकर गुजरता है और प्रत्येक चरण में गुणवत्ता नियंत्रण के साथ निष्पादन होता है।



- नियोजन में डिजाइनिंग, लक्ष्य ग्राहक की पहचान, लागत अनुमान आदि जैसी गतिविधियां शामिल हैं।
- निष्पादन में काटना, सिलाई, फिनिशिंग, पैकिंग आदि शामिल हैं।
- गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण।
- उत्पादों में परिधान, मेड-अप, होम फर्निशिंग और सामान शामिल हैं।

अर्थव्यवस्था में एएमएचएफ क्षेत्र का योगदान

टैक्सिटाइल व अपैरल उद्योग भारत में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार का माध्यम है। भारत न केवल कपास, जूट व सिल्क के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है बल्कि इस उद्योग में बड़ी संख्या में रोजगार देने की भी क्षमता है। इन उद्योगों में लगने वाले मैन पावर की ट्रेनिंग एएमएचएफ सेक्टर के विभिन्न जॉब रोल्स के माध्यम से की जाती है।

प्रमुख निर्यातकों
में से एक



उपर्युक्त चित्र भारत के विकास में एएमएचएफ क्षेत्र के योगदान को दर्शाता है। एएमएचएफ ने न केवल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में योगदान दिया है, बल्कि निर्यात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दिया है। यह क्षेत्र देश में रोजगार सृजन में युवाओं के विकास और जीवन स्तर में सुधार के लिए महत्वपूर्ण रहा है।



एएमएचएफ क्षेत्र का योगदान

परिधान उद्योग के घटक

एएमएचएफ क्षेत्र को दो प्रमुख खंडों में विभाजित किया जा सकता है:

- फाइबर टू फैब्रिक (कपड़ा उद्योग)
- फैब्रिक टू प्रोडक्ट (परिधान उद्योग)

एएमएचएफ क्षेत्र में कपड़ा उद्योग में फाइबर को धागे या कपड़े (नॉन वोवन) और धागे को कपड़े (वॉवन / निटेड कपड़ा) में बदलना शामिल है। कपड़े को रंगाई, छपाई, कढाई, अलंकरण और परिष्करण तकनीकी का उपयोग करके सुंदर बनाया जाता है।

उपर्युक्त तरीके से कपड़ा बनाने के बाद कपड़ा उद्योग में इस कपड़े से तैयार परिधान, होम फर्नीशिंग वस्तुएँ और एसेसरीस आदि बनाए जाते हैं।

एएमएचएफ से जुड़े अन्य उद्योग हैं:



परिधान उद्योग बहुत ही विस्तृत है तथा इसमें विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जाता है। यह एक डिजाइन विचार से शुरू होता है और परिधान तैयार होकर ग्राहक तक पहुंचने पर खत्म होता है। ये प्रक्रियाएं एक परिधान उद्योग के विभिन्न विभागों द्वारा पूरी की जाती हैं। प्रत्येक विभाग एक विशिष्ट कार्य के लिए जिम्मेदार होता है और सभी विभागों का उद्देश्य उचित लागत और समय के भीतर अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद उपलब्ध कराना होता है। विभिन्न विभाग इस प्रकार हैं—

- मर्चेंडाइजिंग विभाग
- स्टोर विभाग
- कटिंग विभाग
- सिलाई विभाग
- धुलाई विभाग
- परिष्करण और पैकिंग विभाग
- गुणवत्ता नियंत्रण और निरीक्षण।
- रखरखाव विभाग
- वित्त और लेखा विभाग
- प्रशासन विभाग



जॉब रोल के बारे में

अपैरल मेड—अप्स होम फर्निशिंग क्षेत्र में विभिन्न जॉब रोल हैं जिन्हें कोई भी अपने पेशे के रूप में चुन सकता है और अपने कौशल को बढ़ा सकता है। यह क्षेत्र उभरते उम्मीदवारों को नौकरी के कई अवसर प्रदान करने पर केंद्रित है। इसमें परिधान उद्योग से संबंधित सभी नौकरियां जैसे पैटर्न मास्टर, स्व-नियोजित दर्जी, हाथ कढाई आदि और स्व-स्वामित्व वाले छोटे व्यवसाय जैसे कढाई इकाई, बुटीक, डिजाइन स्टूडियो आदि शामिल हैं। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फेमवर्क (एनएसक्यूएफ) द्वारा एपेरल, मेड—अप और होम फर्निशिंग सेक्टर के तहत जॉब रोल निम्नानुसार हैं:

| | |
|----|--|
| 01 | फेब्रिक चेकर |
| 02 | इन-लाइन चेकर |
| 03 | लेयरमैन |
| 04 | माप परीक्षक |
| 05 | प्रेसमैन |
| 06 | सिलाई मशीन ऑपरेटर |
| 07 | कढाई मशीन ऑपरेटर (जिगजैग मशीन) |
| 08 | निर्यात सहायक |
| 09 | फेमर- कम्प्यूटरीकृत कढाई मशीन |
| 10 | गारमेंट कटर (सीएएम) |
| 11 | हाथ की कढाई |
| 12 | गुणवत्ता मूल्यांकनकर्ता |
| 13 | नमूना करण दर्जी |
| 14 | एडवांस पैटर्न मेकर (सीएडी/सीएएम) |
| 15 | फेशन डिजाइनर |
| 16 | क्यूसी कार्यकारी- सिलाई लाइन |
| 17 | मर्चेंडाइजर |
| 18 | मशीन खचरखाच मैकेनिक (सिलाई मशीन) |
| 19 | निर्यात कार्यकारी |
| 20 | निर्यात प्रबंधक |
| 21 | सैंपल कोऑर्डिनेटर |
| 22 | औद्योगिक अभियंता (आईई) कार्यकारी |
| 23 | उत्पादन पर्यवेक्षक सिलाई |
| 24 | फैक्टरी अनुपालन लेखा परीक्षक |
| 25 | विशेष सिलाई मशीन ऑपरेटर |
| 26 | सहायक डिजाइनर- होम फर्निशिंग |
| 27 | सहायक डिजाइनर- मेडअप्स |
| 28 | सहायक फैशन डिजाइनर |
| 29 | बुटीक प्रबंधक |
| 30 | कटिंग सुपरवाइजर |
| 31 | फेब्रिक कटर-(परिधान निर्मित अप और होम फर्निशिंग) |
| 32 | फिनिशर |
| 33 | हाथ की कढाई (अड्डावाला) |
| 34 | लाइन पर्यवेक्षक सिलाई |
| 35 | मर्चेंडाइजर-मेड-अप और होम फर्निशिंग |
| 36 | ऑनलाइन नमूना डिजाइनर |
| 37 | पैकर |
| 38 | पैटर्न मास्टर |
| 39 | प्रसंस्करण पर्यवेक्षक (संगाई और मुद्रण) |
| 40 | रिकॉर्ड कीपर |
| 41 | स्व-नियोजित दर्जी |
| 42 | सिलाई मशीन ऑपरेटर (बुना हुआ) |
| 43 | सोसिंग मैनेजर |
| 44 | स्टोर कीपर |
| 45 | वाशिंग मशीन ऑपरेटर |

अपैरल, मेडअप्स होम फर्निशिंग क्षेत्र की महत्वपूर्ण कार्य भूमिकाओं में से एक निर्यात सहायक (एक्सपोर्ट असिस्टेंट) है, आइए इस जॉब रोल को विस्तार से समझें हैं। एक कंपनी के निर्यात विभाग में सभी प्रक्रियाओं के प्रबंधन के लिए एक एक्सपोर्ट असिस्टेंट जिम्मेदार होता है। इसमें शिपमेंट संबंधी सभी दस्तावेजों की तैयारी और प्रबंधन, एक्सपोर्ट फाइनेंस की विधियों की व्याख्या, भुगतान की शर्तें, विदेशी व्यापार और प्रक्रियाओं का ज्ञान, विनियमों, प्रक्रियाओं और प्रलेखन के साथ केंद्रीय उत्पाद शुल्क / सीमा शुल्क निकासी को संभालना भी सीख सकते हैं। एक एक्सपोर्ट असिस्टेंट को भारतीय और विदेशी व्यापार नीतियां तथा संचालन पूर्ण रूप से एक्सपोर्ट कारोबार के लिए सुनिश्चित करने का ज्ञान होना चाहिए।



यह जॉब रोल कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों के लिए है। कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित विषय शामिल किए गए हैं।

कक्षा 11वीं

इकाई 1 | निर्यात विपणन संचालन की रूपरेखा

इस इकाई में, छात्र एक्सपोर्ट प्रबंधन को विस्तार में समझेंगे और उसकी रूपरेखा को जानेंगे। उन्हें निर्यात, व्यापार आदि जैसे सामान्य शब्दावली से भी अवगत कराया जाएगा। छात्रों को भारत में निर्यात नियम, निर्यात प्रक्रिया, निर्यात बाजार, निर्यात विपणन और संचालन, परिवहन और निर्यात रसद, निर्यात दस्तावेज और भुगतान, विदेशी मुद्रा प्रबंधन भी सिखाया जाएगा। मुद्रा चिन्हों और मुद्रा रूपातंरन के बारे में विस्तार से सीखा सकते हैं।




एक्सपोर्ट प्रक्रियाओं की योजना और निष्पादन | इकाई 2



किसी भी गलती और जुर्माने से बचने के लिए नियार्त प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से समझना बहुत महत्वपूर्ण है। इस इकाई में छात्र निर्यात के लिए आवश्यक विभिन्न दस्तावेजों के बारे में समझेंगे। यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसके लिए हर कदम पर प्रमाणन और अनुमोदन की आवश्यकता होती है। छात्र कस्टम क्लीयरेंस और कराधान के बारे में भी सीखेंगे।

इकाई 3 | अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लागू व्यापार रसद के मूल सिद्धांत

यहां छात्र लॉजिस्टिक्स और शिपिंग के मूल तत्वों के बारे में जानेंगे। आयात/निर्यात व्यवसाय में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि यह संगठन की सफलता के लिए जिम्मेदार है। साथ ही, यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि उत्पादों को ग्राहकों तक सुरक्षित, जल्दी, कुशलतापूर्वक और काम से काम लागत के साथ पहुंचाया जाए।



इकाई 4 | कार्यक्षेत्र को स्वच्छ और जोखिम मुक्त बनाए रखना

सभी उद्योगों में विभिन्न प्रकार के औजार, उपकरण और मशीने होती हैं। इन मशीनों को चलाते समय हमेशा खतरा बना रहता है। इसलिए, उपकरणों और मशीनों को संभालते समय, श्रमिकों और कर्मचारियों को सभी जरूरी उपायों और सुरक्षा निर्देशों का पालन करना चाहिए। इस इकाई में कार्यस्थल को साफ—सुथरा बनाए रखने के महत्व पर चर्चा की गई है।




कार्यस्थल पर लागू स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी व्यवहार | इकाई 5



श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का उनकी उत्पादकता और दक्षता पर सीधा असर पड़ता है और इसलिए कंपनी का उत्पादन और लाभ होता है। अतः उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखना और उन्हें सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहां छात्र विभिन्न संभावित स्वास्थ्य और सुरक्षा खतरों, जोखिमों को समझने और विभिन्न स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी नियमों के बारे में जानेंगे, जिनका किसी भी संगठन में कर्मचारियों और परिसर को सुरक्षित रखने के लिए पालन किया जाना चाहिए।

इकाई 6 | कानूनी, नियामक और नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन

सभी उद्योगों, संगठनों, कार्यालयों और निर्माण इकाइयों को उन संबंधित सरकारों और देशों द्वारा तय किए गए नियमों और अनुपालनों का पालन करने की आवश्यकता होती है, जिनमें वे काम करते हैं। उनसे संचालन के लिए कुछ मानकों को बनाए रखने की भी अपेक्षा की जाती है। अनुपालन संगठन के भीतर ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देता है और मानकों को बनाए रखने में मदद करता है।



कक्षा 12वीं

इकाई 1 | विशिष्ट निर्यात विपरण संचालन

इस इकाई में छात्र निर्यात मार्केटिंग पढ़ेंगे तथा उसकी धारणाओं और उत्पाद लागत को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करेंगे। एक्सपोर्ट मार्केटिंग का अर्थ है किसी के सामान या सेवाओं को विदेशों में बेचना निर्यातक देश से आयातक देश को माल दोनों की निर्धारित की जाने वाली गाइडलाइंस और प्रक्रियाओं के अनुसार भेजा जाता है। इसलिए, छात्रों को एक्सपोर्ट योजनाओं, भुगतान शर्तों और एक्सपोर्ट वित्त प्रबंधन के बारे में जागरूक किया जाएगा।

इकाई 2 | निर्यात परिचालन का दस्तावेजीकरण

यहां छात्र निर्यात परिचालन के लिए आवश्यक घटनाओं के दस्तावेज और रिकॉर्ड के रखरखाव के बारे में जानेंगे। उचित दस्तावेज पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से और कुशलता से पूरा करने में मदद कर सकता है। चूंकि एक एक्सपोर्ट असिस्टेंट को व्यापार में शामिल हर व्यक्ति, जिसमें माल भेजने वाला, कंसाइनी, एजेंट, विदेशी व्यापार महानिदेशक, सी.एच.ए. (कस्टम हाउस एजेंट) आदि से अच्छी तरह से संवाद करने की आवश्यकता होती है। इस इकाई में छात्र सुचारू रूप से काम करने के लिए प्रभावी संचार कौशल विकसित करना भी सीखेंगे।

विदेशी व्यापार के लॉजिस्टिक्स और उनकी अवधारणाएँ

इकाई 3

यहां छात्र विदेशी व्यापार लॉजिस्टिक्स को समझ सकेंगे। लॉजिस्टिक्स वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। लॉजिस्टिक्स और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सामान खरीदना, सामग्री का प्रबंधन करना, इन्वेंट्री को नियंत्रित करना, भंडारण, परिवहन और माल का वितरण भी शामिल है। छात्र लॉजिस्टिक्स के पांच क्षेत्रों, शिपमेंट मोड के प्रकार और बाइंग हाउस के विभिन्न विभाग को भी समझेंगे।

इकाई 4 | एक स्वच्छ और जोखिम मुक्त कार्य क्षेत्र बनाए रखें

यहां छात्र एक स्वच्छ और जोखिम मुक्त कार्यस्थल के महत्व और प्रासंगिकता के बारे में जानेंगे। वे कर्मचारियों और आगंतुकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के बारे में भी जानेंगे। दुर्घटनावश गिरने से रोकने के लिए साफ सतहों, उपयुक्त जूते और चलने की उचित गति के महत्व व उनकी सुनिश्चितता के बारे में भी जानेंगे। सीढ़ियों और गलियारों की सफाई, सूखापन और दुर्घटनाओं को कम करने और एक सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करने के बारे में भी इस इकाई में चर्चा की जाएगी।

कार्यस्थल पर स्वास्थ्य, बचाव और सुरक्षा

इकाई 4

इस इकाई में छात्र स्वास्थ्य, बचाव और सुरक्षा के कार्यस्थल पर महत्व के बारे में जानेंगे। कर्मचारियों के बारे में जानेंगे। वे सुरक्षा से संबंधित जोखिम व आपात स्थितियों के बारे में भी पढ़ेंगे। छात्र इस इकाई में मशीन व उपकरणों में आने वाली खराबियों को समझने व उसकी रिपोर्टिंग के बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा आपात स्थितियों की ठीक तरह सूचना प्रदान करने के बारे में भी जानेंगे।

इकाई 5 | उद्योग और संगठनात्मक आवश्यकताएँ

इस इकाई में छात्र संस्थागत नियमों, अनुपालनों व उनमें लगने वाले विभिन्न दस्तावेजों के बारे में पढ़ेंगे। वे ग्राहकों से संबंधित नियमों व इनकी जरूरतों के बारे में भी पढ़ेंगे। नैतिकी बाध्यताएं व उनसे संबंधित दस्तावेज साथ ही साथ इन नियमों से विचलन (डीविएशन) के बारे में भी जानेंगे।

रोजगार के अवसर

विभिन्न क्षेत्रों में कोर्स पूरा करने के बाद रोजगार/करियर की संभावनाएं

स्व रोजगार

1

स्वयं का
व्यवसाय

2

एक्सपोर्ट हाउस
में फ्रीलांसर

3

बाइंग हाउस
में फ्रीलांसर

4

डिजाइन हाउस
में फ्रीलांसर

वैतनिक रोजगार

- एक एक्सपोर्ट/बाइंग/डिजाइन हाउस में निर्यात सहायक
- एक एक्सपोर्ट/बाइंग/डिजाइन हाउस में निर्यात-आयात प्रभारी
- शिपिंग एजेंसी और खरीदार के बीच संचार सहायक

एक्सपोर्ट असिस्टेंट के पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद, निम्नलिखित कार्य भूमिकाओं में करियर विकास के अवसर:



ऑन जॉब प्रशिक्षण

- संबंधित उद्योगों जैसे एक्सपोर्ट, बाइंग, डिजाइन हाउस आदि में इंटर्नशिप
- सरकारी और निजी कौशल प्रशिक्षण केन्द्र

PSSCIVE के बारे में

पं.सु.श. केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल

पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन (पी.एस.एस.सी.आई.वी.ई.) व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में एक शीर्ष अनुसंधान और विकास संगठन है। यह शिक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत [पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.)], भारत सरकार द्वारा 1993 में स्थापित राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एन.सी.ई.आर.टी.) की एक घटक इकाई है। यह भारत में यू.एन.ई.वी.ओ.सी. (तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय परियोजना) का नेटवर्क केंद्र भी है। संस्थान के पास विभिन्न विषयों के लिए बनाए गए विभागों के साथ 35—एकड़ में बना हुआ परिसर है। यहाँ पर कृषि और पशुपालन, व्यापार और वाणिज्य, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और पैरामेडिकल विज्ञान, गृह विज्ञान और आतिथ्य प्रबंधन और मानविकी विज्ञान, की शिक्षा और अनुसंधान का कार्य होता है।

संस्थान व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता—प्रशिक्षण कार्यक्रम की विस्तृत शृंखला प्रदान करती हैं। संस्थान में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उच्च योग्य प्रशिक्षकों की टीम हैं, जो कि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक उत्कृष्ट पेशेवर कौशल और अनुभव रखते हैं।

संस्थान ने व्यावसायिक शिक्षा में तेजी से विकास के मार्ग को प्रशस्त किया है, उद्योग की बदलती जरूरतों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया और कई बार व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। पिछले 25 वर्षों में संस्थान के विकास ने विभिन्न चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन ये नए क्षितिज का पता लगाने और स्थानीय और वैश्विक कैनवास पर लोगों की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रणनीतियों को फिर से तैयार करने की संभावनाओं एवं अवसरों के रूप में कार्य कर रहे हैं।



विद्या स भूतमश्नुते



एन सी ई आर टी
NCERT

संयुक्त निदेशक

पं.सु.श. केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान

श्यामला हिल्स, भोपाल – 462002, मध्यप्रदेश, भारत

फो.: +91 755 2660691 | फैक्स: +91 755 2927347, 2660580

ईमेल : jd@psscive.ac.in

www.psscive.ac.in | www.ncert2021.psscive.in